प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक
ग्लोबल पब्लिक स्कूल, संगमौर, चिलकाना
सहारनपुर

पत्रांक /बेसिक/मान्यता/25455-56 /2019-20 दिनांक 10-12-19

विषयः-**मान्यता के नवीनीकरण के सम्बंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयंक, अपने पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्र सं. मान्यता/5872-75/2013-14 दिनांक 16.07.2013 के द्वारा निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के अधीन उप नियम 4 के अधीन आपकी संस्था नर्सरी से कक्षा-8 तक अग्रेंजी माध्यम से अनन्तिम मान्यता दिनांक 29.06.2013 से आगामी तीन वर्ष के लिये प्रदान की गयी है, के नवीनीकरण/स्थायी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र सरसावा के पत्र दिनांक 06.12.2019 की आख्या के अनुसार आपके विद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त होने के पश्चात उक्त विद्यालय का विगत तीन वर्षो से सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। विद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार मान्यता की शर्तो के उल्लंघन करने सम्बंधी शिकायत प्राप्त नही हुई है, के अधार पर शासनादेश सं. 418/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर-15 के प्रावधानानुसार उक्त अवधि में मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बंधित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही होता है, तो पॉच वर्षो की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है, के अधीन यह माना जाता है कि आपके विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

भवदीय

(रमेन्द्र कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर।

पृ.स./बेसिक/मान्यता/ /2019-20 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
2. सम्बंधित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी, सहरनपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर।

सेवा मे,

प्रबन्धक,
ग्लोबल पब्लिक स्कूल
संगमौर, चिलकाना, सहारनपुर।

पत्रांक / मान्यता / 5872-75 / 2013-14 / दिनाक 16.7.13

विषय:– **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लि[illegible] अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन प्रबन्धक, ग्लोबल [illegible] स्कूल संगमौर, चिलकाना, सहारनपुर की मान्यता के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आपके दिनांक 30.10.2012 के आवेदन और इस सम्बन्ध में पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण [illegible] मैं, प्रबन्धक, **ग्लोबल पब्लिक स्कूल संगमौर, चिलकाना, सहारनपुर** को **दिनांक 29.06.2013 से दिनांक** 28.06.20[illegible] तक [illegible] वर्ष की अवधि के लिए **कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक (अंगेजी माध्यम)** के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान [illegible] हूँ। उक्त मजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है–

1. मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नहीं और उसमे किसी भी रूप मे कक्षा 8 के पश्चात मान्य[illegible] लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उपाबंध 1 और निःशुल्क [illegible] बाल शिक्ष का अधिकार अधिनियम 2010 उपाबध 2 के उपबधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा) मे, उस कक्षा में बालको की सख्या [illegible] आस–पडौस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा [illegible] अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 [illegible] प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता खोलेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक याउसके [illegible] सरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार [illegible] अधिनियम की धारा 15 के उपबधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा
   (1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी [illegible] नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   (2) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगा।
   (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा [illegible]
   (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित [illegible] प्रमाण- पत्र प्रदान किया जायेगा।
   (5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओ वाले विद्यार्थियों [illegible] जाना।
   (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हता [illegible] परन्तु यह और कि विद्यामान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हता नहीं [illegible] अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हता अर्जित करेंगे।
   (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है। और [illegible] स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों मे नियोजित नहीं करेगें ।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्य चर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 मे यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और सनियमो का बनाए [illegible] निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार है।
   विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
   कुल निर्मित क्षेत्र
   क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओ की संख्या
प्राध्यापक सह कार्यालय सह भण्डारागार के लिए कक्ष
बालक–बालिकाओ के लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई
बाधा रहित पहुंच
अध्यापन पठन सामग्री / कीडा खेलकूद उपस्करो / पुस्तकालय की उपलब्धता

9 विद्यालय के परिसरो भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाये नहीं [illegible]

10 विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओ या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन [illegible] किया जायेगा।

11 विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी [illegible] तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12 स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियो के समूह या सगम या किन्ही अन्य व्यक्तियो के लाभ के लिए नहीं [illegible] है।

13 विद्यालय के लेखाओ की किसी चार्टेड एकाउटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा [illegible] किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए – प्रत्येक लेखा [illegible] प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजनी चाहिए।

14 आपके विद्यालय को आबटित मान्यता कोड सख्याक E-16/2013 है। कृप्या इसे नोट कर लें और इस [illegible] साथ किसी पत्राचार के लिए इस सख्याक का उल्लेख करें।

15 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा [illegible] अपेक्षित हो। और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता [illegible] शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य–करण की कमियों को दूर करने [illegible] किये जाये।

16 सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि हो तो सुनिश्चित किया जाये।

17 सलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्ते।

भवदीय
16.7.13
(शैलेन्द्र सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर।

पृ०सं० / मान्यता / [illegible] / 2013–14 दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
2. सम्बन्धित खण्ड / नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद– सहारनपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सहारनपुर।